अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2019 (RCMS 2019/00140) श्री प्रताप सिंह शेखावत(एडवोकेट), ओसियन पार्क, 27 ए, कान्तिचन्द्र रोड़, बनीपार्क, जयपुर पिनकोड–302016 (मोबाईल नं 94144–65664) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.09.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 03 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से वांछित बिन्दुवार सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाने की प्रार्थना की है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री प्रताप सिंह शेखावत ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासान), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. यहकि पार्षद संजय बिश्नोई द्वारा जिला सतर्कता एवं अभाव अभियोग निराकरण समिति में बिना भू रूपान्तरण के आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों हॉस्पिटल, पीजी हॉस्टल, होटल आदि के सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायत, परिवाद व उस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, पत्राचार, जारी नोटिसों सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नोटशीट सहित प्रति।
2. यह कि फीस के संदाय के रूप में 10/– रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख 41एफ 568545 संलग्न है।
3. यह कि निर्धारित समय में सूचना मिलने पर नियमानुसार अन्य शुल्क भी देने को तैयार हूँ।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 2489 दिनांक 29.05.2019 से अपीलार्थी को निम्नानुसर जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके विचाराधीन प्रार्थना पत्र के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना जो करीब (200) दो सौ पृष्ठों में है व प्रकरण विचाराधीन है, जिसके लिए दो रूपये प्रति पेज की दर से राशि का पी.ओ. जमा करवा कर सूचना प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित हो कर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।
>
> -sd-
> **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं**
> **प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ,**
> **जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर**

प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेंट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक सतर्कता/1502(61/16)/2015/3031 दिनांक 25.07.2019 को अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है :

> यह कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 20.05.19 प्रस्तुत (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ से पत्रांक 257 दिनांक 22.05.2019 से शाखा में प्राप्त) कर निम्न सूचनाएं सूचना का अधिकार के तहत चाही गई थी:
>
> यह कि पार्षद संजय बिश्नोई द्वारा जिला सतर्कता एवं अभाव अभियोग निराकरण समिति में बिना भू रूपान्तरण के आवासीय में व्यवसायिक गतिविधियों हॉस्पिटल, पीजी हॉस्टल, होटल आदि के
>
> सम्बन्ध में प्रस्तुत शिकायक, परिवाद व उस पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही, पत्राचार, जारी नोटिसों सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नोटशीट सहित प्रति।
>
> इस शाखा द्वारा पत्रांक 2489 दिनांक 29.08.19 द्वारा लिया गया है कि "पत्र के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय से सम्बन्धित सूचना जो करीब करीब 200 (दो सौ) पृष्ठों मे है व प्रकरण

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

विचाराधीन है, जिसके लिए दो रूपये प्रति पेज की दर से राशि का पो.ओ. जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना आवश्यता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित हो कर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है।''

आज दिनांक तक प्रार्थी द्वारा निर्धारित फीस जमा नहीं करवाई गई है व न ही सूचनाएं लेने के लिए उपस्थित आया है। शुल्क के अभाव में सूचना देय नहीं है। पत्र की प्रति संलग्न है।

सादर प्रस्तुत है।

-sd-

प्रभारी अधिकारी
सतर्कता प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट,
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जो जवाब पेश किया है वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। **अतः अपीलार्थी निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।**

अतः अपीलार्थी की अपील उक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर